

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(अराज0)-05/2019 223 /पटना, दिनांक- 06.8.24

--: आदेश :-

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0-10000 दिनांक-10.07.2015 द्वारा संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा लेने के संबंध में दिशा निर्देश निर्गत है। उक्त संकल्प की कंडिका-3(2)(ख) के अधीन विज्ञापन के माध्यम से कनीय अभियंता (असैनिक/यांत्रिक) के पद पर संविदा नियोजन हेतु सेवानिवृत्त कनीय अभियंता से आवेदन आमंत्रित किया गया।

2. उक्त संकल्प की कंडिका-3(3)(ख) के तहत गठित विभाग स्तरीय चयन समिति की दिनांक-24.07.2024 को आहूत बैठक एवं सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-11629 दिनांक-25.07.2024 द्वारा संसूचित बैठक की कार्यवाही में समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित सेवानिवृत्त कनीय अभियंता(असैनिक) को संविदा के आधार पर कनीय अभियंता(असैनिक) के पद पर नियोजित किया जाता है :-

क्र0 सं0	कनीय अभियंता का नाम एवं गृह जिला	जन्म तिथि सेवानिवृत्ति तिथि	पत्राचार का पता
1	2	3	4
1	श्री रमेश प्रसाद/पटना	06.01.1962 31.01.2022	पूर्वी इन्द्रानगर, रोड नं0-05, पो0-लोहियानगर, थाना-कंकड़बाग, पटना-800020
2	श्री प्रमोद झा/मधुबनी	04.03.1962 31.03.2022	ग्रा0+पो0-नरेन्द्रपुर, भाया-निर्मली, मधुबनी-847408
3	श्री वैद्यनाथ बैठा/समस्तीपुर	01.03.1963 28.02.2023	मुक्ति मोहल्ला, वार्ड नं0-19, नियर टाऊन थाना, हाजीपुर, पो0- हाजीपुर, जिला-वैशाली-844101
4	श्री सुरेन्द्र सिंह/पटना	23.02.1961 28.02.2021	शिवपुरम विजयनगर, रूकनपुरा, पो0-बिहार भेटनरी कॉलेज, पटना-800014
5	श्री देवेन्द्र कुमार सिंह/गोपालगंज	21.11.1962 30.11.2022	नंदनीपथ, पश्चिमी पटेलनगर, पटना-800023
6	श्री वरूण कुमार सिंह/भागलपुर	06.12.1962 31.12.2022	(भीराभवन) जय बिहार कॉलोनी, झुरखुरिया रोड, पो0-बहादुरपुर, थाना-जीरो माईल, जिला-भागलपुर-813210
7	श्री देवदत्त प्रसाद/पटना	29.07.1960 31.07.2020	नया टोला, माधोपुर, बख्तियारपुर, हनुमान मिल के पास, पो0-बख्तियारपुर, जिला-पटना-803212
8	श्री अविनाश कुमार/नवादा	01.01.1962 31.12.2021	मो0-आनंद विहार, कॉलोनी, बेउर अखाड़ा के समीप, पो0+थाना, बेउर, ब्रह्मपुर, अनिशाबाद, जिला-पटना-800002
9	श्री अजीत कुमार/अरवल	02.01.1961 31.01.2021	ग्रा0+पो0-ढेलवाँ, भाया-करपी, जिला-अरवल
10	श्री ओमप्रकाश गुप्ता/समस्तीपुर	22.09.1961 30.09.2021	मो0-पोखरियापीड़, एम0जी0, कॉलोनी-01, अतरदह, पो0-रसना, जिला-मुजफ्फरपुर-842002

कृ०पृ०उ०

सिद्धि

11	श्री अनन्त कुमार/खगड़िया	10.01.1963 31.01.2023	क्वाटर नं०-ई-14, कोशी कॉलोनी, नाका रोड, पूर्णियाँ-854301
12	श्री सत्येन्द्र कुमार शर्मा/जहानाबाद	15.02.1963 28.02.2023	बाईपास सड़क के किनारे, दुन रेसिडेंसियल स्कूल के पास जय प्रकाशनगर, पो०-जी०पी०ओ०, जिला-पटना-800001
13	श्री श्याम सुन्दर प्रसाद/गया	15.11.1962 30.11.2022	अशोक विहार कॉलोनी, घुघरीटाँड़, बाईपास, पो०-चौदचौरा, थाना-विष्णुपद, जिला-गया-823001
14	श्री विनय कुमार सिन्हा/पटना	01.07.1961 30.06.2021	रीता निकेतन, बंगाली रोड, मिठापुर, बी० एरिया, जिला-पटना-800001
15	श्री सर्वेन्द्र नारायण/जहानाबाद	04.01.1962 31.01.2022	आदर्श नगर, गली नं०-2, कोर्ट स्टेशन, जिला-जहानाबाद-804408
16	श्री रामकिशोर प्रसाद/पटना	13.11.1960 30.11.2020	आर०के०सदन, बालाजी नगर, आई०टी०आई० के पास हाईटेक हॉस्पिटल के पिछे, दानापुर, जिला-पटना-801503
17	श्री अरुण कुमार चौबे/पटना	14.01.1962 30.01.2022	नव विकास कॉलोनी, फैंज-03, प्लॉट नं०-03/09ए, आसियाननगर, जिला-पटना-800025

3. यह नियोजन विभागीय संकल्प-10000 दिनांक-10.07.2015 एवं समय-समय पर यथा संशोधित में निहित प्रावधान के तहत निम्नांकित शर्तों के अधीन किया जाता है :-

(क) यह नियोजन योगदान की तिथि से एक वर्ष तथा वैसे संविदा कनीय अभियंता जिनकी आयु 64 वर्ष से अधिक है, के मामले 65 वर्ष तक अथवा उक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने तक के लिए होगा। अधिकतम निर्धारित उम्र तक आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए उनका सेवा विस्तार उनके कार्यों की समीक्षा के उपरांत किया जा सकेगा और कार्य संतोषजनक नहीं होने की स्थिति में उनकी संविदा रद्द की जा सकेगी। विशेष परिस्थिति में संविदा कनीय अभियंता का संविदा-विस्तार सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत संकल्प ज्ञापांक-3978 दिनांक-23.03.2018 की कंडिका-5 के आलोक में विभाग स्तरीय चयन समिति की सहमति से संकल्प की तहत निर्धारित उम्र तक किया जा सकेगा।

(ख) उक्त संविदा नियोजित कनीय अभियंता आदेश निर्गत तिथि से 07(सात) दिन के अन्दर विभाग में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदान नहीं देने की स्थिति में उनका नियोजन स्वतः रद्द हो जायेगा।

(ग) उक्त संविदा कनीय अभियंताओं के विरुद्ध किसी प्रकार के आरोप की सूचना प्राप्त होने पर संविदा नियोजन रद्द कर दिया जायेगा।

(घ) संविदा नियोजित कर्मियों को देय मासिक मानदेय का निर्धारण संकल्प की कंडिका-3(6)(i) तथा 3(7)(iii) के आलोक में किया जायेगा तथा कंडिका-3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मासिक मानदेय की यह राशि संविदा अवधि में स्थिर रहेगी।

(इ) सरकारी कार्यवश यात्रा किये जाने की स्थिति में संकल्प की कंडिका-3(6)(ii) के अन्तर्गत यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा ।

(च) इन संविदा नियोजित कनीय अभियंताओं को सभी पदीय शक्तियाँ प्राप्त रहेगी ।

(छ) इन्हें आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा ।

4. इसमें प्रधान सचिव, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है ।

(सुशांत कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव
लघु जल संसाधन विभाग
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक:- 3819

/पटना, दिनांक- 06.08.24

प्रतिलिपि- अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग/पथ निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक-11629 दिनांक-25.07.2024 के आलोक में सूचनार्थ ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक:-

3819

/पटना, दिनांक- 06.08.24

प्रतिलिपि- अभियंता प्रमुख कार्यालय/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार/सभी संबंधित सेवानिवृत्त कनीय अभियन्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक:-

3819

/पटना, दिनांक- 06.08.24

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव के आप्त सचिव/सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0मैनेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

सिद्धि